

## बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (वेली रोड), पटना - 800001

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत) के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रदर्शित है, इन रिक्त पदों की पदवार कोटिदार विवरणी निम्नवत है :-

विज्ञापन सं.-07/2020 -सहायक अभियंता (असैनिक)

| क्र. सं. | कोटि                     | अनुमान्य पदों की कुल संख्या | 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या |
|----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | अनारक्षित वर्ग           | 77                          | 28                                                                        |
| 2.       | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 19                          | 05                                                                        |
| 3.       | अनुसूचित जाति            | 31                          | 11                                                                        |
| 4.       | अनुसूचित जनजाति          | 02                          | 00                                                                        |
| 5.       | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग      | 34                          | 12                                                                        |
| 6.       | पिछड़ा वर्ग              | 23                          | 08                                                                        |
| 7.       | पिछड़े वर्ग की महिलाएँ   | 08                          | 00                                                                        |
|          | कुल                      | 192                         | 64                                                                        |

(ख)

|    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. | सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2528, दिनांक- 18.02.2018 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या | 04 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

(ग)

|       |                                                                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.    | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 के आलोक में निराश्रयता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या |    |
| (i)   | दृष्टि बाधित (VI)                                                                                                              | 02 |
| (ii)  | मूक बधिर (DD)                                                                                                                  | 02 |
| (iii) | अस्थि विकलांग (OH)                                                                                                             | 02 |
| (iv)  | मनोविकार/बहुदिव्यांग                                                                                                           | 02 |

शैक्षणिक योग्यता :-

(i) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E. Approved) से सिविल अभियंत्रण में डिग्रीधारी

अथवा

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों (डिप्लो-विश्वविद्यालय) से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि।

(iii) अभियंत्रण संस्थान का सह-सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा-"अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुआ होगा अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा-"अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी।

टिप्पणी 1 :-

(1) जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन्न रूप में या परीक्ष्यमान रूप में सरकारी सेवा में हो, वह इस नियम के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हो, वह इस रूप में नहीं होगा:-

(क) अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और

(ख) खण्ड-(4) में विनिर्दिष्ट योग्यता रखनेवाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग-III में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। (बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली, 2019 आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है)।

नोट:-शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-02.06.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

विज्ञापन सं.-08/2020 -सहायक अभियंता (यांत्रिक)

(क)

| क्र. सं. | कोटि                     | अनुमान्य पदों की कुल संख्या | 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या |
|----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | अनारक्षित वर्ग           | 25                          | 10                                                                        |
| 2.       | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 08                          | 01                                                                        |

| क्र. सं. | कोटि                   | अनुमान्य पदों की कुल संख्या | 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या |
|----------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 3.       | अनुसूचित जाति          | 09                          | 03                                                                        |
| 4.       | अनुसूचित जनजाति        | 01                          | 00                                                                        |
| 5.       | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग    | 11                          | 04                                                                        |
| 6.       | पिछड़ा वर्ग            | 07                          | 02                                                                        |
| 7.       | पिछड़े वर्ग की महिलाएँ | 02                          | 00                                                                        |
|          | कुल                    | 61                          | 20                                                                        |

(ख)

|    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. | सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2528, दिनांक- 18.02.2018 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या | 01 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

(ग)

|       |                                                                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.    | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 के आलोक में निराश्रयता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या |    |
| (i)   | दृष्टि बाधित (VI)                                                                                                              | 01 |
| (ii)  | मूक बधिर (DD)                                                                                                                  | 01 |
| (iii) | अस्थि विकलांग (OH)                                                                                                             | 00 |
| (iv)  | मनोविकार/बहुदिव्यांग                                                                                                           | 00 |

शैक्षणिक योग्यता :-

(i) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E. Approved) से यांत्रिक अभियंत्रण में डिग्रीधारी

अथवा

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों (डिप्लो-विश्वविद्यालय) से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि।

(iii) अभियंत्रण संस्थान का सह-सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा-"अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुआ होगा अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा-"अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी।

टिप्पणी 1 :-

(1) जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन्न रूप में या परीक्ष्यमान रूप में सरकारी सेवा में हो, वह इस नियम के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हो, वह इस रूप में नहीं होगा:-

(क) अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और

(ख) खण्ड-(4) में विनिर्दिष्ट योग्यता रखनेवाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग-III में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। (बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली, 2019 आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है)।

नोट:-शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-02.06.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

विज्ञापन सं.-09/2020 -सहायक अभियंता (विद्युत)

(क)

| क्र. सं. | कोटि                     | अनुमान्य पदों की कुल संख्या | 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या |
|----------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | अनारक्षित वर्ग           | 01                          | 00                                                                        |
| 2.       | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 00                          | 00                                                                        |
| 3.       | अनुसूचित जाति            | 00                          | 00                                                                        |
| 4.       | अनुसूचित जनजाति          | 00                          | 00                                                                        |
| 5.       | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग      | 01                          | 00                                                                        |
| 6.       | पिछड़ा वर्ग              | 00                          | 00                                                                        |
| 7.       | पिछड़े वर्ग की महिलाएँ   | 00                          | 00                                                                        |
|          | कुल                      | 02                          | 00                                                                        |

(ख)

|    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. | सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2528, दिनांक- 18.02.2018 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या | 00 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

(ग)

| 3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2018 के आलोक में निशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 04 (चार) प्रतिशत आरक्षित कुल पदों की संख्या |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| (i) दृष्टि बाधित (VI)                                                                                                           |  | 00 |
| (ii) मूक बधिर (DD)                                                                                                              |  | 00 |
| (iii) अस्थि विकलांग (OH)                                                                                                        |  | 00 |
| (iv) मनोविकार/बहुदिव्यांग                                                                                                       |  | 00 |

**शैक्षणिक योग्यता :-**

(i) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E. Approved) से विद्युत अभियंत्रण में डिग्रीधारी

अथवा

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों (डिग्री-विश्वविद्यालय) से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि।

(iii) अभियंत्रण संस्थान का सह-सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा-"अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुआ होगा अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा-"अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी।

**टिप्पणी 1 :-**

(1) जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन्न रूप में या परीक्ष्यमान रूप में सरकारी सेवा में हो, वह इस नियम के उपबन्धों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में सम्पुष्ट हो, वह इस रूप में नहीं होगा:-

(क) अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और

(ख) खण्ड-(4) में विनिर्दिष्ट योग्यता रखनेवाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा इस नियमावली के भाग-III में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे। (बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली, 2019 आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।)

**नोट:-**शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-02.06.2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

**2. वेतनमान:-** वेतन स्तर-9

3. **उम्र सीमा** - दिनांक- 01.08.2019 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अल्पतम पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला- 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।

(i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक- 2374, दिनांक- 16.07.2007 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक- 13062, दिनांक- 12.10.2017 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक- 2447, दिनांक- 08.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

**4. चयन प्रक्रिया:-**

(क) विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक-15838, दिनांक-22.12.1990 एवं पत्रांक-6708, दिनांक-01.10.2008 द्वारा निर्धारित सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग

के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अल्पतम पिछड़ा वर्ग के लिए चौत्तीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

5. लिखित परीक्षा छः पत्रों की होगी, जिनमें 04 पत्र अनिवार्य और 02 पत्र ऐच्छिक होंगे। प्रथम 04 पत्र यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ (Objective) होंगे। दो ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ (Objective) रूप में होंगे जो सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग-अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी के पत्र मात्र Qualifying होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात् अलग-अलग दोनों पत्रों में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जायेगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा। लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय/पत्र/समय और कुल अंक निम्नांकित होंगे:-

**(क) अनिवार्य पत्र**

| पत्र सं० | विषय                      | परीक्षा की प्रकृति     | अवधि    | कुल अंक |
|----------|---------------------------|------------------------|---------|---------|
| 1.       | सामान्य अंग्रेजी          | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100     |
| 2.       | सामान्य हिन्दी            | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100     |
| 3.       | सामान्य अध्ययन            | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100     |
| 4.       | सामान्य अभियंत्रण विज्ञान | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100     |

**(ख) ऐच्छिक पत्र**

|      |                    |                        |         |     |
|------|--------------------|------------------------|---------|-----|
| 5.   | सिविल अभियंत्रण    | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |
| 6.   | सिविल अभियंत्रण    | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |
| अथवा |                    |                        |         |     |
| 5.   | यांत्रिक अभियंत्रण | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |
| 6.   | यांत्रिक अभियंत्रण | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |
| अथवा |                    |                        |         |     |
| 5.   | विद्युत अभियंत्रण  | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |
| 6.   | विद्युत अभियंत्रण  | वस्तुनिष्ठ (Objective) | एक घंटा | 100 |

**नोट:-**विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

**6. आरक्षण:-**

(i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।

(iii)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा :-

(a) जाति प्रमाण-पत्र

(b) स्थायी निवास/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

(B) पिछड़ी जाति एवं अल्पतम पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पतम पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके

पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (iv) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।  
आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

| क्र.सं. | आरक्षित कोटि                                           | ऑनलाईन आवेदन में आरक्षित कोटि |
|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.      | अनुसूचित जाति (Schedule Caste)                         | SC                            |
| 2.      | अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)                       | ST                            |
| 3.      | अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)             | EBC                           |
| 4.      | पिछड़ा वर्ग (Backward Class)                           | BC                            |
| 5.      | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) | EWS                           |

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-13082, दिनांक-12.10.2017 के आलोक में दिव्यांगों को कडिका-1(ग) में वर्णित शक्ति के अनुरूप नियमानुसार 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को कडिका-1(क) में वर्णित शक्ति के अनुरूप नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2528, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को कडिका-1(ख) में वर्णित शक्ति के अनुरूप नियमानुसार 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2822, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कडिका-1(क) में वर्णित शक्ति के अनुरूप नियमानुसार 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापक- 16144, दिनांक- 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

नोट:- (1) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संचारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनार/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोट:- (2) अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर निम्नलिखित प्रमाण-पत्र मूल में (Original copy) सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

1. मेट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
2. विज्ञापन की कडिका में वर्णित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र।
3. विज्ञापन की कडिका-4 के अनुरूप उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
4. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)
5. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के

नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2822, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)
9. दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)
10. स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)
11. उम्मीदवार ने जिस महाविद्यालय/संस्थान में अंतिम पढ़ाई की है, उसके प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्र एवं आचरण प्रमाण-पत्र।
12. केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
13. पदधान पत्र (फोटोयुक्त)।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

#### 7. शुल्क :-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- (ii) केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iii) बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये

- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

#### 8. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

|    |                                                                                                                   |                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की तिथि                                                                                     | 04.05.2020 से 18.05.2020 तक        |
| 2. | ऑनलाईन के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि                                                                     | 25.05.2020 तक                      |
| 3. | ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि                                                                                   | 02.06.2020 तक                      |
| 4. | आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निर्धारित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि | 10.06.2020 के अपराह्न 05:00 बजे तक |

**नोट-1:** जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के लिए आवेदक को लिंक उपलब्ध होगा।

**नोट-2:** जिस तिथि को भुगतान किया गया है उसकी अगली तिथि को पूर्वाह्न 11:00 बजे के बाद आवेदक को ऑनलाईन Application Form भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा।  
अभ्यर्थी दिनांक- 25.05.2020 तक निश्चित रूप से भुगतान कर लें।

(ii) ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।

(iv) ऑनलाईन आवेदन में अंकित E-mail id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।

(v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है।

(vi) इन्टरनेट या पोस्टल या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

(x) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(xi) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

(xii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

#### 9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(i) अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाईन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले रवाही से हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हुए उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नांकित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह दिनांक-10.06.2020 के अपराह्न 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना-800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए। उक्त हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों को राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियाँ अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करेंगे:-

(a) मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (जन्म तिथि के लिए);  
(b) विज्ञापन की कड़िका शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण-पत्र;  
(c) विज्ञापन की कड़िका शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक-पत्र;  
(d) उम्मीदवार ने जिस महाविद्यालय/संस्थान में अंतिम पढ़ाई की है, उसके प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्र एवं आचरण प्रमाण-पत्र  
(e) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण-पत्र।

(f) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।

(g) अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

आख्यान का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

(h) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति;

(i) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत प्रमाण-पत्र;

(j) आयु में छूट का दावा करने की स्थिति में अभ्यर्थी तत्संबंधी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे।

(k) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

आवेदक उपर्युक्त सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित प्रति आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे, जो प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा संलग्न नहीं किया जाएगा, बाद में आयोग द्वारा उनका संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।

(ii) यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण-पत्र/कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है, तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें प्रवेश-पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।

10. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।

11. इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, डैशबोर्ड से डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ संलग्न पता पर्वी (Address Slip) एवं प्रेषक पर्वी (Sender's Slip) को लिफाफे पर चिपकायेंगे।

12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट [www.bpsc.bih.nic.in](http://www.bpsc.bih.nic.in) पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,  
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।